



आदेश पत्रक  
(नियम 13)  
(General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', Form No. 9)  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

भीवाराम पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं	-बनाम-	हरलाल पुत्र लक्ष्मण जाति जाट निवासी ग्राम गोठड़ा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं
किस्म मुकदमा - दावा स्थाई निषेधाज्ञा		मु0नं0 165 / 2019
आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनांक
23.09.2019	आज यह दावा वादी की ओर से प्रदीप कुमार एडवोकेट द्वारा पेश किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर हो। तलबी प्रतिवादी की जाकर पत्रावली दिनांक 24.10.2019 को पेश हो।	
24.10.19	पत्रावली पेश हुई। आज पी.ओ. साहब अन्वय/राजकीय दौरे पर हैं। अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 24-1-20 का पेश हो।	<div style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      उपखण्ड अधिकारी                      नवलगढ़                 </div>
24.1.20	पत्रावली भिसल तलबी का जाब पत्र प्रस्तुत होने पर आज पेश कर ली गई। वादी ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी बाद ही वाजि नष्ट चलाना चाहता है प्रचरण सिद्ध करने के निवेदन किया। वादी से पहचान वसूल वादी करा भी गई। अतः बाद वादी डली त्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल सुमार दोष दर्ज नम्बर से ठम ही तथा बाद तहसील जाया दाखिल दफ्तर ही निर्णय आज सुले न्यायालय में सुनाया गया।	24-1-20
<div style="text-align: center;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      नवलगढ़                 </div>		

